राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 99

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 17 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ॐ विश्वकर्मणे नमः
ॐ विश्वात्मने नमः

सरोकार

हरियाली की 'विरासत' का सबक बनेंगे बुजुर्ग वृक्ष

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में वन विभाग एक अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत युवाओं को पुराने वृक्षों के इतिहास, महात्म्य और उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। पौधे किसने रोपे और जीवनभर किसने सहेजा इसकी जानकारी देकर 'विरासत' का सबक भी दिया जाएगा। (पेज-11)

जागरण विशेष

आधी हुई थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत, लागत घटी

जमशेदपुर : थर्मल पावर प्लांट में कोयले के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने को लेकर जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है, जिससे प्लांट में कोयले की खपत आधी हो जाएगी। (पेज-10)

कश्मीर पर राष्ट्रहित और सुरक्षा सबसे ऊपर

बताया रुख ▶ शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा-बनाए जाएं सामान्य हालात, बहाल हो संचार व्यवस्था

केंद्र ने दी हालात सामान्य बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि राष्ट्रहित और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कश्मीर में सामान्य जीवन बहाल करने के सभी प्रयास किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी तरह की संचार व्यवस्था बहाल की जाए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से।

ये निर्देश प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे और अब्दुल नजीर की पीठ ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां लगे प्रतिबंधों और उससे आम जनता को हो रही परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने मामले को 30 सितंबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन की ओर से जब जनजीवन बदहाल होने की शिकायत की गई तो पीठ ने कहा कि अगर स्थानीय दिक्कतों की बात है तो हाई कोर्ट इसमें बेहतर विचार कर सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और जम्मू-कश्मीर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालात सामान्य बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी आंकड़ों सहित कोर्ट को दी गई। वेणुगोपाल ने कहा कि 2016 में एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया था जिसके बाद लगभग तीन महीने तक राज्य में बंद रहा था। उसके बाद भड़की हिंसा में काफी लोग मारे गए थे। अबकी बार अभी तक एक भी जान नहीं गई है। वहां सभी अखबार छप रहे हैं। मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक इंटरनेट चलता है। स्थानीय टीवी चैनल चल रहे हैं। तुषार मेहता कहा कि स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं में कोई कमी नहीं है। तीन महीने का जरूरी राशन है। कश्मीर के 105 में से 93 थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जबकि जम्मू और लद्दाख में तो सौ फीसद प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं।

शिकायत पर हाई कोर्ट से मांगी रिपोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल बताए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की है। पकड़े गए नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के समक्ष पेश करने की वरिष्ठ अधिवक्ता हुफैजा अहमदी की मांग पर पीठ ने कहा कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट कमेटी के समक्ष पेश किया जाए तो आप स्वयं हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से पेश अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप जो कह रहे हैं, वैसा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम इसकी जांच करेंगे। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह स्वयं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो वह जम्मू-कश्मीर जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आरोप गलत हुए तो आप परिणाम भुगतने को तैयार रहें। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी कोर्ट काम कर रहे हैं और यहां तक कि लोक अदालतें भी लगाई जा रही हैं।

- प्रधान न्यायाधीश बोले, अगर जरूरी हुआ तो खुद जाएंगे जम्मू-कश्मीर
- अटार्नी जनरल ने कहा, इस बार अब तक नहीं गई किसी की जान
- बताया, सभी अखबार छप रहे हैं, स्थानीय टीवी चैनलों पर असर नहीं

370 हटने के मामले में जेकेपीसी की याचिका पर सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस (जेकेपीसी) पार्टी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस याचिका को भी अनुच्छेद 370 मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ संविधान पीठ में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया है।

अमित शाह ने एनएसए डोभाल के साथ की हालात की समीक्षा

नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के हालात की समीक्षा की है। इसमें पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर हो रही फायरिंग, आतंकी घुसपैठ की कोशिशों और उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। गृह मंत्री के साथ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला के साथ सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इन सूचनाओं के बाद उत्पन्न हालात पर भी चर्चा की गई जिनके तहत बताया गया है कि आतंकी कश्मीर में स्थानीय दुकानदारों को धमका रहे हैं। (पेज-5)

पिता के बनाए कानून से पूर्व सीएम फारूक बने बंदी

श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बना लिया है। पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने वाले वह राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं। उनके घर को ही अस्थायी जेल बना दिया गया है। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक के पिता स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वर्ष 1978 में लागू किया था पीएसए। (पेज-5)

गुलाम नबी आजाद को मिली कश्मीर जाने की इजाजत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने उन्हें मजदूरों की हालत जानने और उनसे मिलने के लिए श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाजत दी है। गुलाम नबी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यात्रा के दौरान वह न तो राजनीतिक रैली करेंगे और न ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेंगे। (पेज-5)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पीएमओ ने डोभाल, पीके मिश्र व पीके सिन्हा के कामकाज बांटे

नई दिल्ली : पीके मिश्र और पीके सिन्हा को क्रमशः प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन दोनों अधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

छात्रा ने दोहराए आरोप, गिरफ्तार हो सकते हैं चिन्मयानंद

शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा को बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में छात्रा ने अपना बयान दर्ज कराया। माना जा रहा है कि इसके बाद चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

डिस्कॉम को महंगा पड़ेगा बिजली कंपनियों का बकाया

नई दिल्ली : राज्यों की बिजली कंपनियों की माली हालात सुधारने के लिए सात वर्षों में दो बार विशेष योजनाएं लागू की गईं, लेकिन हालत यह है कि कंपनियों का बकाया बढ़ता ही गया है। बिजली के ढांचे में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना उदय-2 योजना लागू की है। अगर डिस्कॉम कंपनियां समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगी तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

किम ने ट्रंप को दिया प्योंगयांग की यात्रा का न्योता

सियोल : उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने पत्र लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्योंगयांग की यात्रा का न्योता दिया है। यह पत्र ऐसे समय पर लिखा गया है, जब दोनों देशों के बीच परमाणु मसले पर वार्ता ठहरी हुई है। ट्रंप भी हाल में यह इच्छा जता चुके हैं कि वह इस साल किसी समय किम से मिलना चाहेंगे। उनकी मुलाकात कोरियाई प्रायद्वीप के लिए खासी अहम होगी।

सऊदी अरब के रिफाइनरी प्लांट पर हमले से कच्चे तेल की कीमत आसमान पर

दुबई, रायटर : सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर हमले के बाद ग्लोबल क्रूड आउटपुट में पांच परसेंट तक कमी दर्ज की गई। इसका सीधा असर कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर पड़ा। सोमवार को कच्चे तेल का दाम 19.5 फीसद उछाल के साथ लगभग 72 डॉलर पर पहुंच गया। पिछले लगभग तीन दशकों के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक दिन कच्चे तेल का दाम 10 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा बढ़ गया।

हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किए जाने की बात कहने के बाद तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई। उधर तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक ने भी तेल की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भी तेल की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल भंडार होने की बात कही है।

सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरैमको पर पिछले सप्ताह शनिवार को ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले से इसके दो प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता घटकर आधी रह गई है। जानकारों के मुताबिक अरैमको को अपनी पुरानी उत्पादन क्षमता में लौटने में महीनों का समय लग सकता है। इससे पहले कहा गया था कि कंपनी कुछ सप्ताह में प्लांट की मरम्मत का काम पूरा कर लेगी। अरैमको के जिस प्लांट पर हमला हुआ है, उसमें कच्चे तेल की रिफाइनिंग की जाती थी। इस हमले के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में 57 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है।

- तीन दशकों के दौरान कच्चे तेल के दाम से सबसे ज्यादा एकदिनी उछाल
- ओपेक ने तेल की आपूर्ति में कमी नहीं होने का आश्वासन दिया

सऊदी अरब की क्षमता कितनी

- सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक होने के साथ-साथ सेक्टर का बाजार नियंत्रक भी है।
- एकमात्र ऐसा देश है जो बाजार को स्थिर रखने के लिए एक ही दिन में लाखों बैरल तेल उत्पादन घटा या बढ़ा सकता है।

भारत पर असर क्या

- जानकारों के मुताबिक अगले एक पखवाड़े में पेट्रोल-डीजल के दाम में पांच-छह रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की आशंका है
- कच्चे तेल का दाम बढ़ने से राजकोषीय स्थिति पर एकदम से दबाव बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ सकती है
- इकरा के मुताबिक औद्योगिक ग्राहकों की लागत पर असर हो सकता है, उनका प्रॉफिट तेजी से घट सकता है

ड्रोन हमले में ईरान पर बढ़ा शक पेज>>13

प्रधान ने दिलाया भरोसा, भारत में नहीं होगी तेल की कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमले के बाद अरैमको के अधिकारियों से बात की गई है। सितंबर के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता की समीक्षा के बाद हम आश्वस्त हैं कि भारत को आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। गौरतलब है कि भारत के लिए सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है।

अयोध्या पर फिर चली मध्यस्थता की बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की एक बार फिर बात चली है। मुकदमे के दो पक्षकारों-उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को पत्र लिख कर फिर से मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही पांच सदस्यीय संविधान पीठ को पत्र की जानकारी देते हुए निर्देश मांगा है। मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश नाकाम रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबित अपीलों पर रोजाना नियमित सुनवाई शुरू की है जो पिछले 24 दिनों से लगातार चल रही है। अब दोबारा मध्यस्थता की चर्चा होने से लोगों के बीच केस को लेकर उहापोह की स्थिति बन गई है। कोर्ट में मामले पर बहस कर रहे पक्षकारों के वकीलों में इस नई पहल को लेकर किसी तरह का उत्साह नहीं है। उनका कहना है कि किसी एक के पत्र लिखने से क्या होता है। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा कई अन्य मुस्लिम और हिंदू पक्षों की अपीलें है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने के बाद मामले में नियमित सुनवाई शुरू की है। वैसे सोमवार को किसी भी पक्ष की ओर से इस बारे में कोर्ट से चर्चा नहीं की गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में एक अहम पक्षकार है और आजकल मुस्लिम पक्ष की ओर से ही बहस हो रही है।

आठ मार्च को कोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीश कलीफुल्ला वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू व आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मिलाकर मध्यस्थता पैनल गठित किया था। लेकिन कुछ पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता में हल न निकलने की शिकायत किए जाने के बाद कोर्ट ने तीन अगस्त को मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर छह अगस्त से लंबित अपीलों पर रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया था।

- यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने मध्यस्थता पैनल को लिखा पत्र
- पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र की जानकारी देते हुए मांगा निर्देश

लाइव टेलीकास्ट पर कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी जानकारी

अयोध्या मामले की सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि लाइव टेलीकास्ट कब से शुरू हो सकता है। शीर्ष अदालत ने आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान गोविंदाचार्य के वकील ने कहा कि वह मामले की सुनवाई को देखना और सुनना चाहते हैं लेकिन उनका पास नहीं बनता। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने हालांकि इस मांग का विरोध किया। धवन ने कहा कि अयोध्या मामले की काफी सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में बीच में मामले का लाइव टेलीकास्ट शुरू ठीक नहीं रहेगा।

मुस्लिम पक्ष ने जन्मस्थान को देवता मानने का किया विरोध पेज>>6

उप्र में 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी घोषित करने पर रोक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के निर्णय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रदेश की मौजूदा योगी व पूर्ववर्ती सपा सरकार की तीन अधिसूचनाओं पर कोर्ट ने रोक लगाकर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता गोरखनाथ की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने 21 व 22 दिसंबर 2016 व 24 जून 2019 को पिछड़े वर्ग की 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी घोषित किया था। सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को केवल राष्ट्रपति की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए जारी अधिसूचना में शामिल अनुसूचित जातियों को ही प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही तीनों अधिसूचनाओं में अनुसूचित जाति में घोषित पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं जारी करने को कहा है।

राज्य सरकार को ऐसा अधिकार नहीं : हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र कानून बनाकर किसी जाति को अनुसूचित जाति राष्ट्रपति की अधिसूचना से घोषित कर सकती है। राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव के शासनकाल में अधिसूचना जारी कर पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में घोषित किया गया था। इसके बाद घोषित जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। जून 2019 में योगी सरकार ने भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी की।

ये हैं 17 जातियां : कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ।

विंग कमांडर अंजलि सिंह बनीं देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक

मॉस्को, प्रेट्र : भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर अंजलि सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह विदेश में भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के रूप में नियुक्ति होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें रूस में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैची नियुक्त किया गया है। दूतावास ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विंग कमांडर अंजलि सिंह को 10 सितंबर को अपना पदभार भी संभाल लिया है। दूतावास ने बताया है कि मिग-29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली अंजलि सिंह एई (एल) रैंक की अधिकारी हैं। वायु सेना में वह पिछले 17 वर्षों से हैं। किसी भारतीय दूतावास में एयर अटैची भारतीय वायु सेना का अधिकारी होता है। आमतौर पर इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। वह विदेश में अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करता है।

समाज का आत्मविश्वास हिला देता है सेना में भ्रष्टाचार : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रक्षा उपकरण की खरीद में रिश्वत लेने पर 80 वर्षीय पूर्व मेजर जनरल को जेल

रिश्वतखोरी के मामले में राउज एवेन्यू अदालत में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 80 वर्षीय मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुर्गई को तीन साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला तहलका न्यूज पोर्टल द्वारा 2001 में किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद सामने आया था। इस दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। 22 अगस्त को दिए अपने आदेश में सीबीआइ कोर्ट ने 70 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में मुर्गई को दोषी ठहराया था।

'ऑपरेशन वेस्ट एंड' के दौरान तहलका पोर्टल ने कई सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, व्यापारियों और राजनेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया था। अभियोजन के अनुसार स्टिंग करने वाले पत्रकार मैथ्यू सैमुअल को रक्षा उपकरण निर्माता के रूप में मुर्गई अपने निवास पर लेकर गए थे। सीबीआइ ने तीन फरवरी 2006 को मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया था मुर्गई ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के एक मामले में 70 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। मुर्गई को सेना मुख्यालय में आयुध खरीद करने वाले अधिकारियों तक पहुंचने के लिए तहलका की टीम ने माध्यम बनाया था।

> किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब भारतीय सेना में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो यह तथ्य समाज के आत्मविश्वास को हिला देता है। इसलिए ऐसे दोषी को उचित सजा सुनाई जानी चाहिए।
>
> **-शैलेंद्र मलिक, न्यायाधीश, विशेष सीबीआइ कोर्ट**

अनोखी केमेस्ट्री

'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिरकत करने की सहमति दी, पहली बार दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता एक मंच से देंगे भाषण...

ह्यूस्टन में फिर दुनिया देखेगी मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विदेश दौरे के दौरान भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने की जो परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है उसका एक नया अंदाज उनकी आगामी अमेरिका यात्रा में दिखाई देगा। इस बार मोदी ह्यूस्टन के एक स्टेडियम में जब 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के तहत 50 हजार भारतीयों को संबोधित करेंगे तो उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। मोदी और ट्रंप की इस जुगलबंदी के कूटनीतिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने इसके पहले कभी भी किसी दूसरे देश के नेता के साथ इस तरह से मंच साझा नहीं किया है। यहां तक कि अमेरिकी इतिहास में कभी भी किसी विदेशी नेता को इतना महत्व नहीं दिया गया है, जितना मोदी को मिल रहा है। लिहाजा, यह भारत-अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

सोमवार को सुबह व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में मोदी व ट्रंप की मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 22 सितंबर, 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में होंगे जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।' 'हाउडी मोदी, शेयर्ड ड्रीम्स, ब्राइट फ्यूचर्स' नाम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय मूल के 50 हजार अमेरिकियों ने पंजीकरण कराया है। यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच रणनीतिक रिश्ते को दर्शाने का अवसर होगा। व्हाइट हाउस के एलान के कुछ ही समय बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति अपना आभार जताया। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपनी स्वीकृति देकर भारत व अमेरिका की विशेष दोस्ती को दर्शाया है। साथ ही अमेरिकी समाज व अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को स्वीकार किया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डेमोक्रेट स्टेनी होवर, तुलसी गबार्ड समेत अमेरिका के करीब साठ सांसद, गवर्नर, जज और व्यापार जगत के दिग्गज भी शामिल होंगे।

राजनीतिक लाभ के लिए भी ट्रंप कर रहे शिरकत : वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के तमाम अधिकारी मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली इस खास मुलाकात की तैयारियों में जुटे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका की रणनीतिक जरूरत के साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के चलते भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को तैयार हुए हैं। अगले वर्ष के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे और इसकी तैयारी में ट्रंप अभी से जुट गये हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप इस बार भी भारतीयों को लुभाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मोदी के साथ एक मंच से भारतीयों को संबोधित करने से बड़ा और कोई अवसर नहीं हो सकता। यही वजह है कि अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने ट्रंप की स्वीकृति को ऐतिहासिक व अभूतपूर्व बताया है।

ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर रहती हैं सभी की नजरें। फाइल

22 से 27 तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे भारतीय प्रधानमंत्री

मोदी 22 से 27 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर होंगे। वहां राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। पिछले तीन महीनों में देखा जाए तो मोदी और ट्रंप के बीच यह तीसरी द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने फ्रांस में जी-7 की बैठक के दौरान ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में मोदी ने उनसे ह्यूस्टन में अपने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया था। ट्रंप ने उसी वक्त इसे स्वीकार कर लिया था और अपने अधिकारियों को आगे की तैयारी करने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी तीन बार अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जा चुके हैं। 2014 व 2016 में उन्होंने न्यूयार्क व सिलिकॉन वैली में हजारों भारतीयों को संबोधित किया था।

उत्तराखंड में भी एनआरसी लागू करने की तैयारी, सीएम ने दिए संकेत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मंत्रिमंडल के साथ होगी एनआरसी पर चर्चा
- घुसपैठ रोकने में एनआरसी निभा सकता है अहम भूमिका

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी (नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस) लागू किए जाने के बाद कई राज्य ऐसा ही कदम उठाने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उत्तराखंड ने भी एनआरसी लागू करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मंत्रिमंडल के साथ बैठ कर इस विषय पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड सीमांत राज्य है। अगर यहां घुसपैठ की पुष्टि होती है, तो यह एक गंभीर विषय हो जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और कुछ समय पूर्व यहां रोहिंग्या व अनाधिकृत रूप से रह रहे नेपालियों को लेकर भी इनपुट मिलते रहे हैं। माना जा रहा है कि अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी।

असम में लगातार बढ़ रही बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को देखते हुए बीते साल जुलाई में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा तैयार किया गया था। असम एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण इसे तैयार किया गया। इसके तहत असम में 1971 से पूर्व रह रहे लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब हरियाणा भी इसे लागू करने की तैयारी में है। इस बीच उत्तराखंड में भी एनआरसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। इनमें अवैध रूप से बसने वालों को लेकर सरकार को इनपुट मिलते रहे हैं। हरिद्वार और रुड़की में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्याओं के संबंध में भी खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिए हैं। सीमांत क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे नेपालियों के संबंध में भी एजेंसियां जानकारी उपलब्ध कराती रही हैं। (पेज-4 भी देखें)